कार्यालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर।

प्रशासनिक आदेश संख्या– 318 दिनांकः 09 सितम्बर, 2020

आदेश

मेरे द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर को दिनांक 04.09.2020 को पत्रांक सं0 1426/I लिखा गया था जिसमे उनसे अपेक्षा की गयी थी कि वे चरणबद्ध तरीके से इस न्यायिक संस्थान मे कार्यरत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का कोविड–19 टेस्ट करायें। मेरे द्वारा लिखे गए पत्र के अनुकम मे मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर द्वारा कर्मचारियों का कोविड–19 टेस्ट मेडिकल टीम भेजकर कराया जाना प्रारम्भ किया गया। टेस्ट के दौरान दिनांक 09.09.2020 को 1. कु0 निधि सचान "प्रतिलिपिक" पुत्री श्री अजय कुमार, निवासी ए–1681 आवास विकास हंसपुरम नौबस्ता, कानपुर नगर मोबाइल नं0 6393512959 2. शत्रुघन यादव "चौकीदार" पुत्र रामखिलावन यादव, निवासी 15/167 कोर्ट कम्पाउण्ड, कानपुर नगर मोबाइल नं0 9565133293 3. रविन्द्र कुमार यादव "अर्दली" पुत्र राजरूप सिंह यादव, निवासी टी–1/13/46 कैण्ट, सर्किट हाउस, कानपुर मोबाइल नं0 9415195206 4. गया चरन "सफाईकर्मी पारिवारिक न्यायालय" पुत्र बन्दी, निवासी 86/238, रायपुरवा, कानपुर मोबाइल नं0 9935318061 कोविड–19 संक्रमित पाये गए हैं। मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर से टेलीफोनिक बातचीत से यह सुझाव प्राप्त हुआ कि शासनादेश सं0 902 (1)/पांच–5–2020 दिनांकित 31.05.2020 के प्रकाश मे सिविल कोर्ट, कानपुर नगर को 24 घंटे के लिए बन्द किया जाएगा तथा इसे दो बार विसंक्रमित कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो–जो व्यक्ति उपरोक्त कर्मचारीगण के निकट सम्पर्क 1 मीटर से कम दूरी या 15 मिनट से ज्यादा आये हों, उन्हे 14 दिन के लिए क्वारेन्टाइन कराया जाएगा। मुख्य चिकित्साधिकारी से मोबाइल पर हुयी बातचीत के उपरान्त इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि उनकी लिखित रिपोर्ट आने मे विलम्ब हो सकता है और इस न्यायिक संस्थान के पांच कर्मचारीगण की कोविड–19 टेस्ट रिपोर्ट पाजिटिव आयी है, मैं उपरोक्त उल्लिखित शासनादेश एवं माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक कमांक 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad Dated: 03 June 2020 के निर्देश सं0 15 के प्रकाश मे सिविल कोर्ट को कल दिनांक 10.09.2020 को 24 घंटे के लिए बन्द किया जाना उचित पाता हूं जिससे पूरे सिविल कोर्ट कैम्पस को विसंक्रमित कराया जा सके।

अतः जिला एवं सत्र न्यायालय, कानपुर नगर दिनांक 10.09.2020 को बन्द रहेगा। न्यायालय परिसर एवं न्यायालय भवनों को पूर्णतया दो बार सैनेटाइज कराया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट व नगर आयुक्त/नगर स्वास्थ्य अधिकारी की होगी। सिविल कोर्ट के दो बार विसंक्रमित कराए जाने के सम्बन्ध मे प्रभारी अधिकारी नजारत रिपोर्ट देंगे तथा वह सुनिश्चित करेंगे कि उनके व सी0एम0एम0 के निर्देशन मे पूरे सिविल कोर्ट के विसंक्रमण की कार्यवाही अच्छी तरह से सम्पादित हो जाए। सिविल कोर्ट के विसंक्रमित हो जाने के पश्चात ही इसको खोला जाएगा। उन अधिकारियों व कर्मचारीगण जो संक्रमित कर्मचारियों के सम्पर्क मे आये हों, से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं को क्वारेन्टाइन करें।

दिनांक 10.09.2020 को नियत जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई अगले कार्य दिवस 11.09.2020 को होगी। इसी प्रकार दिनांक 10.09.2020 को नियत बहस, धारा 313 द0प्र0सं0 की पत्रावलियां एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की पत्रावलियां दिनांक 11.09.2020 को पेश होंगी। शेष समस्त दीवानी वादों मे सामान्य तिथि 17.10.2020 तथा फौजदारी वादों मे सामान्य तिथि 22.10.2020 नियत की जाती है।

आज पारित आदेश से समस्त कर्मचारीगण, अधिकारीगण सूचित हो तथा सूचना माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित की जाए। आदेश को जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। आदेश की प्रति अध्यक्ष/महामंत्री बार एसोसिएशन व दि लायर्स एसोसिएशन, कानपुर नगर को प्रेषित की जाए।

जिलाधिकारी, कानपुर नगर, मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर एवं नगर आयुक्त, कानपुर नगर को सम्पूर्ण न्याय भवनों एवं बार की पूर्णतया साफ–सफाई एवं दो बार सैनेटाइजेशन हेतु अलग से पत्र प्रेषित किया जाए।

(अशोक कुमार सिंह–III)
जनपद न्यायाधीश,
कानपुर नगर।

जनपद न्यायाधीश
कानपुर नगर